

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2024/508

मुकदमा नम्बर 195/2024

दर्ज दिनांक-20.12.2024

सुशील कुमार पुत्र शिवराम जाति जाट निवासी स्वामी की ढाणी, ढिगाल 9414292157 तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू

-आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

-अनावेदक

वकील आवेदक :- स्वयं

वकील अनावेदक :- पैरा. राज.

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश ::

निर्णय दिनांक 20.12.2024

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम स्वामी की ढाणी खाता सं. 73 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम श्योराम पुत्र रामलाल के स्थान पर शिवराम पुत्र रामलाल दर्ज व दुरुस्त किया जावे।

प्रा. पत्र के साथ पटवारी, भू.अ.निरीक्षक व तहसीलदार नवलगढ़ कि रिपोर्ट, फर्द मौका रिपोर्ट व अन्य दस्तावेजों की छाया प्रति पेश की है।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगोर सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आवेदक का प्रा. पत्र पटवारी हल्का कि रिपोर्ट तथा दस्तावेजों से साबित है।

लिहाजा आवेदक का प्रा. पत्र पोषणीय और न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम स्वामी की ढाणी खाता सं. 73 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम श्योराम पुत्र रामलाल के स्थान पर शिवराम पुत्र रामलाल दर्ज व दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ़ राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दपतर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 20.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)RAS

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

जिला-झुझुनू